



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2011/फाल्गुन 26, 1932

No. 51]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2011/PHALGUNA 26, 1932

8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

अधिसूचना

मुम्बई, 25 फरवरी, 2011

फा. सं. एम 19012/03/2008-बीमा-III.—कतिपय विनियमों का प्रारूप विनियम, जो भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4, तारीख 31 जुलाई-6 अगस्त, 2010 को प्रकाशित किए गए थे और भारतीय बीमांकक संस्थान के अधिसूचना सं एम-19012/03/2008-बीमा-III की तारीख अक्टूबर 9 अक्टूबर 15, 2010 के शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब, भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की घारा 56 की उपघारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमांकक संस्थान (रजिस्टर का रखरखाव, सूची का प्रकाशन और रजिस्टर में सदस्यों के नामों की पुनःप्रविष्टि) विनियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से बीमांकक अधिनियम, 2006¹ (2006 का 35) अभिप्रेत है ;

(ख) “परिषद्” से संस्थान की परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) “प्रारूप” से इन विनियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(घ) “संस्थान” से अधिनियम की घारा 3 के अधीन गठित भारतीय बीमांकक संस्थान अभिप्रेत है ;

(ङ) “सदस्यों की सूची” से इन विनियमों के अधीन प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को संस्थान द्वारा प्रकाशित सदस्यों की सूची अभिप्रेत है ;

(च) “रजिस्टर” से संस्था द्वारा पोषित सदस्यों का रजिस्टर अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे हो उनके अधिनियम में हैं।

3. रजिस्टर में प्रविष्टि-(1) अधिनियम की घारा 3 की उपघारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे।

(2) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिकथित अपनी पात्रता पूरी करने और अन्य शर्तों तथा इस निमित्त संस्थान द्वारा तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाने के लिए हकदार होगा ।

4. रजिस्टर का रखरखाव :-

(1) परिषद् प्ररूप में संस्थान के सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा ।

(2) रजिस्टर में अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संस्थान के प्रत्येक सदस्य की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी ।

(3) रजिस्टर साफ्ट प्ररूप में अंकीय रूप से रखा जाएगा जिसमें रजिस्टर में भंडारित आंकड़ों और विशिष्टियों की संरक्षा के लिए और परिषद् के समाधानप्रद रूप में उसमें अंतर्विष्ट जानकारी के उचित अद्यतन, भंडारण तथा सुधार के लिए पर्याप्त अंतर्निर्मित सुरक्षा विशेषताएं होंगी ।

(4) रजिस्टर को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा जिससे उसमें सदस्यों के पते, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल पहचान में परिवर्तन तथा रजिस्टर में अंतर्विष्ट सदस्यों की बाबत ऐसी अन्य जानकारी को परिलक्षित किया जा सके ।

(5) सदस्य, संस्थान को रजिस्टर में अंतर्विष्ट अपनी विशिष्टियों के किसी भी परिवर्तन को सूचित करेगा और ऐसी जानकारी की प्राप्ति पर, परिषद् ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर रजिस्टर की विशिष्टियों को अद्यतन कराएगी ।

परंतु किसी परिवर्तन को अद्यतन करने में हुई कोई आकस्मिक या अवधानता, कोई त्रुटि या चूक रजिस्टर को अविधिमान्य नहीं करेगी ।

5. सदस्यों की सूची का प्रकाशन :-

(1) परिषद् प्रत्येक वर्ष आगामी 30 जून को या उसके पूर्व 1 अप्रैल को यथाविद्यमान सदस्यों एक सूची प्रकाशित करेगी ।

(2) सदस्यों की सूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

(3) सदस्यों की सूची में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(क) सदस्य का नाम

(ख) सदस्य की अर्हता

(ग) सदस्यता प्रास्थिति (अध्येता या अवैतनिक अध्येता या सहयुक्त)

(घ) सदस्यता प्रास्थिति प्राप्त करने का वर्ष

(ङ) सदस्यता संख्या

(च) अभिलेख पर यथा विद्यमान पत्र व्यवहार का पता और संपर्क व्यौरे (जिनके अंतर्गत टेलीफोन और मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी भी हैं)

(4) यदि कोई सदस्य, सदस्यों की सूची की प्रति के लिए लिखित में अनुरोध करता है तो वह उसे दो हजार पाँच सौ रुपए से अनधिक ऐसी रकम, को परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(5) सदस्यों की सूची की एक प्रति लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर दो सौ पचास रुपए से अनधिक की ऐसी रकम, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, के संदाय पर डिस्केट की फ्लापी में सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

5. वार्षिक सदस्यता फीस :- सदस्यों द्वारा संदेय वार्षिक सदस्यता फीस प्रतिवर्ष दस हजार रुपए से अनधिक की ऐसी रकम होगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए :

परंतु ऐसे सदस्यों द्वारा, जिनका रजिस्टर में पत्र व्यवहार का पता भारत से बाहर का है, संदेय वार्षिक सदस्यता फीस संयुक्त राज्य के चार सौ डालर प्रतिवर्ष से अनधिक की ऐसी रकम होगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

6. सदस्यों के नाम में पुनःप्रविष्टि :- (1) परिषद् आदेश द्वारा, किसी ऐसे सदस्य का नाम पुनःप्रविष्ट कर सकेगी जिसका नाम इस विनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और अपेक्षाओं का पूरा होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 24 के खंड (ख), (ग), (घ) और (ड) में निर्दिष्ट किसी आधार पर, कारणवश रजिस्टर से हटा दिया गया है ।

(2) परिषद् किसी ऐसे सदस्य का, जिसका नाम रजिस्टर से हटाया गया है, यदि वह उप विनियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करने के लिए अन्यथा पात्र है, तो ऐसे सदस्य से लिखित में आवेदन पर उसका नाम पुनःप्रविष्ट कर सकेगी ।

परंतु परिषद् उसका दशा में, जहां किसी सदस्य का नाम अधिनियम की धारा 24 के खंड (ग) के अधीन हटाया था, वहां उसी वर्ष में जिसमें नाम हटाया गया था, सभी बाबत संपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्टर में ऐसे सदस्य का नाम उस तारीख से जिसको, उसे हटाया गया था, पुनःप्रविष्ट कर सकेगी ।

(3) पुनःप्रविष्टि के लिए संदेय फीस उस वर्ष के लिए वार्षिक अभिदाय की रकम के बराबर होगी जिसके दौरान उसका नाम उस वर्ष के लिए जिसमें नाम हटाया गया था वार्षिक अभिदाय सहित रजिस्टर में पुनःप्रविष्ट किया गया है ।

4. (क) जहां ऐसा नाम अधिनियम की धारा 11 के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन हटाया गया था वहां परिषद् रजिस्टर में नाम की पुनःप्रविष्टि के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उस मामले को अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट करेगी ।

(ख) परिषद् खंड (क) में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि वह अनुशासनिक समिति द्वारा उसे सुलझा दिया जाता है और शर्तों के पूरा किए जाने पर तथा ऐसी समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय पर उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर ऐसे सदस्य का नाम रजिस्टर में पुनःप्रविष्ट करेगी ।

प्रस्तुप

[विनियम 4(1) देखिए]

भारतीय बीमांकक संस्थान

सदस्यों का रजिस्टर

सदस्य सं.			
नामः प्रथम, मध्य, उपनाम			
लिंगः पुरुष/स्त्री			
जन्म की तारीखः दिन/मास/वर्ष			
निवास का पता :			
निवास संसूचना व्यौरे: टेली :	फैक्स :	ई-मेल :	मोबाइल :
वृत्तिक पता :			
वृत्तिक संसूचना व्यौरे :टेली :	फैक्स :	ई-मेल :	
सदस्यों की सूची में मुद्रित करने के लिए पता : निवास/वृत्तिक			
संसूचना के लिए पता: निवास/वृत्तिक			
सदस्यता प्रास्थिति : अध्येता / अवैतनिक अध्येता /सहबद्ध			
अन्य अर्हताएँ :			
सदस्य के रूप में प्रवेश की तारीख :			
चालू सदस्यता वर्ग में प्रवेश की तारीख :			
व्यवसाय प्रमाण पत्र कब तक विधिमान्य है :			
व्यवसाय का क्षेत्र :			
वर्ष के लिए संदर्भ अंतिम अभिदाय : (वर्ष-वर्ष) जैसे 07-08			
सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो :			
शास्ति की प्रकृति : शास्ति अधिरोपण की तारीख :			
अन्य व्यौरे, यदि कोई हों :			

गुरुराज नायक, प्रशासकीय अधिकारी

[विज्ञापन III/4/69-जेड आई/10/असा.]

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th February, 2011

F. No. M-19012/03/2008-Ins.III.—Whereas, the draft of certain regulations were published in the Gazette of India, in Part III-Section 4, dated July 31 – August 6, 2010 and corrigendum dated October 9 – October, 15, 2010 published *vide* No. M-19012/03/2008-Ins.III notification of Institute of Actuaries of India, Mumbai inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notifications was published, were made available to the public;

And, whereas, no objection and suggestions have been received from the public.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (k),(l) and (m) of sub-section (2) of section 56 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Council of the Institute of Actuaries of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These regulations may be called the Institute of Actuaries of India (Maintenance of Register, Publication of List, and Re-entry of names in Register of Members) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (c) "Act" means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006);
- (d) "Council" means the Council of the Institute;
- (e) "Form" means a form appended to these regulations;
- (d) "Institute" means the Institute of Actuaries of India constituted under section 3 of the Act;

- (e) "list of members" means the list of members published by the Institute as on the 1st day of April of each year under these Regulations;
- (f) "register" means the register of the members maintained by the Institute.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Entry in the Register:- (1) Subject to the provisions of sub-section (1) of section 3 of the Act, the names of persons referred therein shall be entered in the register.

(2) A person shall be entitled to have his name entered in the register subject to his fulfilling the eligibility and other conditions laid down under section 6 of the Act and regulations made thereunder by the Institute in this behalf.

4. Maintenance of the Register:-

- (1) The Council shall maintain a register of the members of the Institute in the Form.
- (2) The register shall include the particulars of every member of the Institute referred to in sub-section (2) of section 23 of the Act.
- (3) The register shall be maintained digitally in soft form with adequate built safety features for the protection of the data and particulars stored in the register and for proper updation, storage and retrieval of information contained therein to the satisfaction of the Council.
- (4) The Register shall be updated from time to time so as to reflect therein the changes of postal address, telephone number, e-mail identity of the members and such other information in respect of members contained in the register.
- (5) A member shall inform the Institute any change of his particulars contained in the register and on receipt of such information, the Council shall cause the updation of particulars in the register within a period of two months from the date of receipt of such information:

Provided that any accidental or inadvertent error or omission to update any change shall not invalidate the register.

5. Publication of List of Members.-

- (1) The Council shall publish, each year, a list of members as on the 1st day of April, on or before the following 30th day of June.
- (2) The list of members shall be published on the website of the Institute.
- (3) The list of members shall contain the following information, namely:-

- a. Name of member
 - b. Qualification of member
 - c. Membership status (Fellow or Honorary Fellow or Associate)
 - d. Year of attaining the membership status
 - e. Membership Number
 - f. Address for Correspondence and contact details (including particulars of telephone and mobile phone numbers and e-mail ID) as on record.
- (4) If any member makes a request in writing for the copy of the list of members, it may be made available to him on payment of such amount, not exceeding two thousand five hundred rupees, as may be determined by the Council from time to time.
- (5) A copy of the list of members may be made available to members in floppy or diskette, on receipt of a request in writing and on payment of an amount not exceeding two hundred fifty rupees, as may be determined by the Council from time to time.

5. Annual Membership Fees.-

The annual membership fees payable by members shall be an amount not exceeding ten thousand rupees per annum, as may be determined by the Council from time to time:

Provided that the annual membership fees payable by members having in the register, the address of correspondence outside of India shall be an amount not exceeding United States four hundred dollar per annum, as may be determined by the Council from time to time.

6. Re-entry in register of name of members.-

(1) The Council may, by order, re-enter the name of a member whose name has been removed from the register for reasons on any of the grounds referred to in clauses (b), (c), (d) and (e) of section 24 of the Act after satisfying the conditions and requirements specified in this regulation.

(2) The Council may, on an application in writing from a member whose name has been removed from the register, re-enter his name, if he is otherwise eligible to enter his name in the register on payment of the fee specified in sub regulation (3).

Provided that the Council may, in case where the name of a member was removed under clause (c) of section 24 of the Act, on receipt of an application complete in all respects in the same year in which the name was removed, re-enter the name of such member in the register with effect from the date on which it was removed.

- (3) The fees payable for re-entry shall be equal to the amount of annual subscription for the year during which the name is re-entered in the register with the annual subscription for the year in which his name was removed.
- (4) (a) The Council, on receipt of application for re-entry of name in the register where such name had been removed under clause (a) and (d) of section 11 of the Act, shall refer the matter to the disciplinary committee constituted under sub-section (1) of section 26 of the Act.
- (b) The Council may, on receipt of the report of the disciplinary committee referred to in clause (a), if it is cleared by the disciplinary committee and on fulfilling of the conditions and payment of penalty imposed by the such committee, re-enter the name of such member in the register on payment of fee specified in sub-regulation(3).

FORM

[See regulations 4(1)]

Institute of Actuaries of India

REGISTER OF THE MEMBERS

Membership No.
Name: First, Middle, Surname
Gender: M/F
Date of Birth : DD/MM/YYYY
Residential Address:
Residence Communication Details: Tel: Fax: e-mail:
Mobile;
Professional Address:
Professional Communication Details; Tel: Fax: e mail
Address for printing in the List of members : Residential / Professional
Address for communication: Residential / Professional
Membership Status: Fellow / Honorary Fellow/Associate
Other Qualifications :
Date of Admission as Member:
Date of admission to the current membership class:
Certificate of Practice valid up to

Area of Practice;	
Last subscription paid for the year: (YY-YY) e.g. 07-08	
Disciplinary action, if any, against the member:	
Nature of penalty;	Date of imposition of penalty:
Other details, if any.	

GURJRAJ NAYAK, Administrative Officer

[ADVT. III/4/69-ZI/10/Exty.]